

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : वसूली/2017-18/71/137 दिनांक : 17/7/2017

--: कार्यालय आदेश ::--

मासिक किशतों सहित बकाया राशि जमा कराने के बारे में संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त संशोधित आदेश क्रमांक प.3(1201)नवि/3/2012 दिनांक 13.07.2017 की पूर्ण पालना करना सुनिश्चित करें।


उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., .....
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., .....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14.  कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.3(1201)नविवि/3/2012

जयपुर दिनांक: 13 JUL 2017

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.03.17 व 24.05.17 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के दिनांक 01.01.2001 से जिन आवंटित आवासों में बकाया राशि जमा नहीं करवायी गयी है उनमें नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

उक्त विभागाय आदेश के क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल को स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में बकाया राशि में मासिक किश्ते भी सम्मिलित हैं। उक्त किश्ते/बकाया राशि का एक गुश्त भुगतान करने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट देय है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

for perusal pl  
32

FA

AM (x)

dy secretary

13/7/17

32  
13/7/17



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय